सं. 18011/04/2010-एआई
भारत सरकार/नागर विमानन मंत्रालय

राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली, दिनांक:12.07.2011

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सरकारी खर्च पर विमान यात्रा - दौरे/एलटीसी पर दिशानिर्देश - स्पष्टीकरण

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अपने दिनांक 16.09.2010 के अपने कार्यालय ज्ञापन सं. 19024/1/200-9-ई-IV के तहत दौरे/एलटीसी तथा विमान टिकट की खरीद के सही माध्यम के संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा आशंका उत्पन्न की गई है कि क्या नागर विमानन मंत्रालय दिनांक 16.09.2010 के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन की शर्तों के अनुसार एअर इंडिया से इतर एयरलाइनों द्वारा एलटीसी की यात्री की अनुमति दे सकता है।व्यय विभाग ने दिनांक 18 अक्तूबर 2010 के अपने कार्यालय ज्ञापन 19024/1/200-9-ई.IV के तहत स्पष्ट किया है कि उनके दिनांक 13 जुलाई 2009 के कार्यालय ज्ञापन में दिए गए इनके पूर्ववर्ती अनुदेशों के आधार पर नागर विमानन मंत्रालय एअर इंडिया से इतर एयरलाइनों में एलटीसी के अंतर्गत किए जाने वाले विमान यात्रा के मामलों पर विचार करने तथा ऐसे मामलों में प्रतिपूर्ति की राशि को एअर इंडिया के एलटीसी-80 के किराये तक सीमित रखने की प्रक्रिया को जारी रखा है। व्यय विभाग के दिनांक 18 अक्तूबर 2010 के कार्यालय ज्ञापन की प्रति संलग्न है।

2. नागर विमानन मंत्रालय को एअर इंडिया द्वारा प्रचालित नहीं किए जा रहे सेक्टरों पर एलटीसी सुविधा प्राप्त करते समय अनुमेय विमान किराया और नागर विमानन मंत्रालय से छूट प्राप्त करने के पश्चात एयर इंडिया से इतर एयरलाइनों द्वारा यात्रा करने के संबंध में भी अनेक आशंकाएं प्राप्त हो रहीं थीं। यह मुद्दा वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसने दिनांक 27.04.2011 के आईडी सं. 19024/1/2009-ई.IV के तहत स्पष्ट किया है कि ऐसी आकस्मिकताओं के मामले में अधिकारियों के सबसे किफायती इकनॉमी श्रेणी के विमान किराए की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

3. यह भी स्पष्ट किया गया है कि व्यय विभाग के दिनांक 10 के कार्यालय ज्ञापन सं. 19024/1/200-9-ई-IV के तहत विमान टिकटों की खरीद सीधे एयरलाइनों (एयरलाइनों के बुकिंग काउंटरों/वेबसाइटों पर) या प्राधिकृत यात्रा एजेंटों जैसे मैसर्स बाल्मन लॉरी एंड कंपनी तथा मैसर्स अशोका ट्रैवेल्स एंड टूर्स से की जाएगी। नागर विमानन मंत्रालय को इस अपेक्षा में छूट प्रदान करने का कोई प्राधिकार नहीं है और इस संबंध में नागर विमानन मंत्रालय द्वारा किसी प्रकार के पत्राचार का उत्तर नहीं दिया जाएगा।

(एस.के.चिकारा)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 24610364

सेवामें,

1. **सभी मंत्रालय/विभाग**
2. **सूचनार्थ प्रतिप्रेषित- वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (ध्यानार्थ श्री ए.भट्टाचार्या, अवर सचिव)।**
3. **प्रतिप्रषित - एनआईसी, नागर विमानन मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।**

सं. 19024/1/2009-IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

ई-IV शाखा

नई दिल्ली, दिनांक :18 अक्तूबर 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय: दौरे/एलटीसी पर विमान यात्रा संबंधी दिशानिर्देश

अधोहस्ताक्षरी को ऊपर उल्लिखित विषय पर नागर विमानन मंत्रालय के दिनांक 07.10.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. एवी.18050/51/2009-एआई का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है, जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या इस विभाग के दिनांक 16.09.2010 के कार्यालय ज्ञापन के दृष्टिगत नागर विमानन मंत्रालय एलटीसी सुविधा प्राप्त करते समय निजी एयरलाइन से यात्रा के लिए छूट प्रदान किए जाने हेतु सरकारी अधिकारियों के अनुरोध पर विचार कर सकता है।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि चूंकि इस विभाग के दिनांक 13.07.2010 क समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, एअर इंडिया द्वारा यात्रा का शर्त सभी मामलों में लागू है, चाहे विमान यात्रा की लागत भारत सरकार द्वारा वहन की जाएगी, इसमें एलटीसी भी शामिल है। इसी प्रकार, एअर इंडिया से इतर एयरलाइन द्वारा यात्रा के लिए नागर विमानन मंत्रालय से छूट प्रदान किए जाने वाले समान कार्यालय ज्ञापन में एलटीसी भी शामिल है। तथापि, एलटीसी पर यात्रा के लिए छूट के ऐसे सभी मामलों में, प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि एअर इंडिया के एलटीसी-80 किराए तक सीमित होगी।

(ए.भट्टाचार्या)

अवर सचिव, भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय,
(श्री एस.के.चिकारा, अवर सचिव),
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली।